भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर - 334006
दूरभाष:0151-2250960 एवं 0151-2253123

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान परिसर एवं अनुसंधान प्रक्षेत्र में बहु–वर्षीय झाड़ियों तथा पेड़ पौधों (झड़बेरी, खेजड़ी, नीम, शीशम के लगभग 1400 नग) की वार्षिक कटाई–छंगाई एवं उनसे प्राप्त पत्ती, चारा, लूंग, छड़ियां एवं जलाने योग्य लकड़ी की खुली नीलामी संस्थान प्रक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 10.11.2022 को प्रातः 11.00 बजे रखी गयी है अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म रु. 5000.00 बयाना राशि (EMD) एवं आधार/पेन कार्ड की फोटो प्रति जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते है। इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्ते संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय बीछवाल, बीकानेर, के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेब साईट ciah.icar.gov.in पर उपलब्ध है।

-sd-
प्र. प्रशासनिक अधिकारी

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006
बीछ्वाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

पत्रावली क्रमांक:07(ii)07/CS/FPA/16/ 5711 — 5720 दिनांक: 04.11.2022.

संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र एवं परिसर में बहु–वर्षीय झाड़ियों तथा पेड़ पौधों (झड़बेरी, खेजड़ी, नीम, शीशम के लगभग 1400 नग) की वार्षिक कटाई –छंगाई एवं उनसे प्राप्त पत्ती, चारा, जलाऊ लकड़ी व लूंग की खुली नीलामी फार्म प्रक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 10.11.2022 को 11.00 बजे बोली आयोजित की जावेगी।

नियम व शर्तेः

1. **फार्म प्रक्षेत्र के प्रखण्डों में** बहु–वर्षीय झाड़ियों तथा पेड़ पौधों (झड़बेरी, खेजड़ी, नीम, शीशम लगभग 1400 नग) की कटाई –छंगाई एवं उनसे प्राप्त पत्ती, चारा, जलाऊ लकड़ी व लूंग जिसकी नीलामी की जानी है, इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म से संपर्क किया जा सकता है।
2. झरबेरी की झाड़ियों की कटाई–छंटाई व्यवस्थित ढंग से करनी है जबकि खेजड़ी, नीम एवं शीशम के वृक्षों की कटाई–छंगाई बताई गई विधि के अनुरुप करनी है जिससे वृक्षों को किसी तरह का नुकसान ना हो। खेजड़ी के अधिकांश वृक्ष बीजू है परन्तु कुछ कलमी पौधे भी रखे गये है जो सड़क किनारे या खंड में भी हो सकते है।
3. कटाई–छंटाई से प्राप्त झाड़ियां / छड़ियां खेत से बाहर 3–4 जगहों पर ही एकत्र करना होगा।
4. फर्म कटाई–छंटाई करते समय अनुसंधान फसलों का पूरा ध्यान रखेगी तथा संबंधित व्यक्ति की देखरेख में ही कार्य कर सकेगी।
5. कटाई–छंटाई का कार्य प्रतिदिन प्रातः 6.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक किया जा सकता है परन्तु चारा, छड़ियां व जलाऊ लकड़ी उठाने का कार्य कार्यालय दिवस (शनिवार,रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर) एवं सुबह 09.00 बजे से सांय 5.30 बजे के मध्य ही गेट–पास के माध्यम से संस्थान से बाहर ले जा सकते है।
6. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रुप में **रु.5000/- (रुपये पांच हजार मात्र)** जमा कराने होगें।
7. जिस फर्म / व्यक्ति व्यकित के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसी सफल बोलीदाता को कार्य प्रारंभ करने का अनुबंध (नोन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर कार्यादेश जारी किया जावेगा एवं ठेकेदार द्वारा कार्य शुरु किया जावेगा।
8. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि की ३३ प्रतिशत राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी तथा शेष राशि पत्र मिलने के तीन दिवस में जमा करवानी होगी एवं ऐसा नहीं करने पर प्रथम सफल बोलीदाता द्वारा जमा ३३ प्रतिशत राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा। इस स्थिति में द्वितीय अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या पुनः नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
9. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र एवं परिसर में बहु–वर्षीय झाड़ियों तथा पेड़ पौधों (झड़बेरी, खेजड़ी, नीम, शीशम के लगभग 1400 नग) की वार्षिक कटाई –छंगाई के दौरान वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य किसी संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुचें। वृक्षों के बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
10. संस्थान से अधिकार पत्र/कार्यादेश जारी होने के **एक माह** (दिसम्बर 2022) में कार्य पूर्ण कर लेना होगा। इसके पश्चात ठेकेदार का कोई हक नही रहेगा।

11. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

12. संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को **उक्त कार्य** के लिये नही लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।

13. **किसी भी प्रकार** के भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा।

14. किसी भी प्राकृतिक आपदा (वर्षा, आंधी-तूफान, पशु से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी ।

15. **संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र एवं परिसर में बहु–वर्षीय झाड़ियों तथा पेड़ पौधों (झड़बेरी, खेजड़ी, नीम, शीशम की कटाई–छंटाई** अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जाने वाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

16. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) **कार्य समाप्ति** एवं प्रभारी फार्म/ **प्रभारी सम्पदा** द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

17. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम **प्राधिकारी** के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।

04/11/22

प्र. प्रशासनिक अधिकारी